FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ...सिवाना ....

वादी / वादीगण	बनाम	प्रतिवादी / प्रतिवादीगण
1 खेताराम पुत्र शंकरराम जाति प्रजापत निवासी कुम्हारों की ढाणी, काठाड़ी तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (2)		1 शंकरराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों की ढाणी, काठाड़ी तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (2) 3 राज्य सरकार जरिये तहसील सिवाना जिला बालोतरा

किस्म मुकदमा......धारा 88,53,188 RT Act. मुकदमा नंबरः– 133 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.11.2024	वादी खेताराम वगैरा की ओर से वकील श्री नेहपालसिंह ने यह वाद पत्र प्रतिवादी शंकरराम वगैरह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.12.2024 को पेश हो। (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
13.11.2024	वादीगण मय वादीगण वकील के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। वादीगण व उनके वकील ने प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में दोनो पक्षों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। अतः वे वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते है। इसलिये वाद जरिये विड्रो खारिज फरमावें। हमने वादीगण मय वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। वादीगण का वाद जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2024.12.01 14:28:00 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना	खेताराम परसाराम I.d. by me